भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4153

उत्तर देने की तारीख : 18.03.2026

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में मुख्य नियुक्तियों में देरी

†4153. डॉ. शशि थरूर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिक्तियां होने और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सदस्यों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ख) सभी मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रता से भरने या अंतरिम नियुक्तियों के लिए व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग अपनी पूर्ण वैधानिक शक्ति के साथ कार्य करे; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई समय-सीमा है और आयोग के कामकाज में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता और भविष्य की चूक से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (2) के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं।

केंद्र सरकार ने दिनांक 06.03.2026 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति की है।
